

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(19) Forest/2013

Jaipur, dated: 25 SEP 2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj./06/11/2013/F.C./839 dated 25.07.2014 for the project proponent Public Works Department, NH DIV-I, Jaipur for diversion of 4.17 ha. forest area for the purpose of construction of Missing link from 32/500 to 33/600 Km on Dausa-Manoharpur Road NH-11A . The State Government hereby accords sanction under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 25.07.2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to Stage - I and Stage - II clearances are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jaipur.
8. Dy. Conservator of Forests, (Wild life), Jaipur.
9. Project Proponent Executive Engineer, Public Works Department, NH Division-I, Jaipur.



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Ministry of Environment & Forests
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)



2454
11/8/14

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

FCA
6A

पत्र सं० 8 बी/राज०/06/11/2013/एफ.सी. 1839

दिनांक: 25.07.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

25/7/14

विषय : जनपद जयपुर के अन्तर्गत दौसा मनोहरपुर रोड एन०एच० 11ए किमी० 32/500 से 33/600 तक मिसिंग लिंक रोड के निर्माण हेतु जमवारामगढ़ अभ्यारण की 4.17 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक— एफ 14 () 2006/व.सु./प्र.मु.व.सं/4484, दिनांक 21.05.2014 एवं पत्रांक— एफ 14 () 2006/व.सु./प्र.मु.व.सं/5151, दिनांक 16.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर का शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प०1(19)वन/2013, दिनांक: 20.03.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.11.2013 एवं 13.12.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं संशोधन जारी किया गया था। जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद जयपुर के अन्तर्गत दौसा मनोहरपुर रोड एन०एच० 11ए किमी० 32/500 से 33/600 तक मिसिंग लिंक रोड के निर्माण हेतु जमवारामगढ़ अभ्यारण की 4.17 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 4.17 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 4.17 हे० गैर वन भूमि का अमल दरामद वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
12. यदि वृक्षों का पातन अपरिहार्य हो तो ऐसी स्थिति में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, Standing committee of NBWL एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की संस्तुति आवश्यक होगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा लगायी गयी निम्न शर्तों की अनुपालना पूर्ण करेंगे।

- (1) रात्रि के समय प्रस्तावित क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा कैम्प नहीं लगाया जाएगा, निर्माण कार्य सिर्फ दिन में किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक 500 मीटर के अन्तराल में अभ्यरण क्षेत्र में गति अवरोधक बनवाया जाएगा।
- (3) मार्ग के दोनों तरफ प्रत्येक 02 किमी0 पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा साइन बोर्ड लगवाया जाएगा जिसमें यह उल्लिखित किया जाएगा कि "यह मार्ग जमुवा रामगढ़ अभ्यरण" से होकर गुजर रहा है चालक सतर्क रहें अपनी वाहन की गति धीमी रखें ताकि वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचे।
- (4) प्रत्येक ग्राम के प्रवेश एवं निकास पर अवरोधक अर्थात् चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वाहनों की आवाजाही दर्ज करवायी जा सके।
- (5) निर्माण स्थल में, निर्माण सामग्री अभ्यरण क्षेत्र के बाहर से कार्य अवधि (working hours) में ही लाई जाएगी एवं उसी समय सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से रखवाया भी जाएगा।
- (6) निर्माण कार्य के दौरान अभ्यरण क्षेत्र में रोड बनाने हेतु किसी प्रकार की खुदाई या मिट्टी निकालने एवं भरान का कार्य नहीं किया जाएगा।
- (7) निर्माण कार्य के पश्चात् मलवे का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
- (8) मार्ग के प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही हेतु अंडर-पास बनाए जाएंगे।
- (9) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

उल्लंघन स्वरूप जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध WLPA(1972) के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाएगी।

14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता (एन0एच0), सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-1, जयपुर, राजस्थान।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)



भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-0522-2326696
0522

दिनांक: 21.11.2013

पत्र सं० 8बी/राज०/06/11/2013/एफ.सी. 11346

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : जनपद जयपुर के अन्तर्गत दौसा मनोहरपुर रोड एन०एच० 11ए किमी० 32/500 से 33/600 तक मिसिंग लिंक रोड के निर्माण हेतु जमवारामगढ़ अभ्यारण की 4.17 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक- एफ 14 () 2006/व.सु./प्र.मु.व.सं/9223, दिनांक 23.10.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर का शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प०1(19)वन/2013, दिनांक: 20.03.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2013 द्वारा अतिरिक्त सूचना जारी की गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जनपद जयपुर के अन्तर्गत दौसा मनोहरपुर रोड एन०एच० 11ए किमी० 32/500 से 33/600 तक मिसिंग लिंक रोड के निर्माण हेतु जमवारामगढ़ अभ्यारण की 4.17 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवन्त वन भूमि पर अर्थात् 8.34 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी०ए०-1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
6. प्रस्तावित वन क्षेत्र को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य, जो भी लागू हो, हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा / मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
11. यदि वृक्षों का पातन अपरिहार्य है तो ऐसी स्थिति में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक Standing committee of NBWL एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की संस्तुति आवश्यक होगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा ली गयी निम्न शर्तों की अनुपालना की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे-
 - (1) रात्रि के समय प्रस्तावित क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा कैम्प नहीं लगाया जाएगा, निर्माण कार्य सिर्फ दिन में किया जाएगा।
 - (2) प्रत्येक 500 मीटर के अन्तराल में अभ्यरण क्षेत्र में गति अवरोधक बनवाया जाएगा।
 - (3) मार्ग के दोनों तरफ प्रत्येक 02 किमी० पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा साइन बोर्ड लगवाया जाएगा जिसमें यह उल्लिखित किया जाएगा कि "यह मार्ग जमुवा रामगढ़ अभ्यरण" से होकर गुजर रहा है चालक सतर्क रहें अपनी वाहन की गति धीमी रखें ताकि वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचे"।
 - (4) प्रत्येक ग्राम के प्रवेश एवं निकास पर अवरोधक अर्थात् चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वाहनों की आवाजाही दर्ज करवायी जा सके।
 - (5) निर्माण स्थल में, निर्माण सामग्री अभ्यरण क्षेत्र के बाहर से कार्य अवधि (working hours) में ही लाई जाएंगी एवं उसी समय सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से रखवाया भी जाएगा।
 - (6) निर्माण कार्य के दौरान अभ्यरण क्षेत्र में रोड बनाने हेतु किसी प्रकार की खुदाई या मिट्टी निकालने एवं भरण का कार्य नहीं किया जाएगा।
 - (7) निर्माण कार्य के पश्चात् मलवे का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (8) मार्ग के प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही हेतु अंडर-पास बनाए जाएंगे।
 - (9) उल्लंघन स्वरूप जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध WLPA(1972) के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाएगी।
 - (10) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

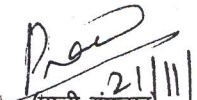
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता (एन०एच०), सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-1, जयपुर, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।


(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)



भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
केन्द्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

युक्ति पत्र

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-2328696

पत्र सं० 8बी/राज०/८६/११/२०१३/एफ.सी./१५१८

दिनांक : 13.12.2013

सेवा में

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
अरण्य भवन, बानिकी पथ,
जयपुर, राजस्थान

विषय : जनपद जयपुर के अन्तर्गत दोसा मनोहरपुर रोड एन०एच० ११ए किमी० ३२/५०० से ३३/८०० तक मिसिंग लिंक रोड के निर्माण हेतु जमवाचनगढ़ अभ्यारण की ४.१७ हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक- एफ १४ () २००६/ब.सु./प्र.मु.व.सं./१०२००, दिनांक -०९.१२.२०१३
महोदय,

उपरोक्त विषय पर का शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प्र०१(१९)वन/२०१३, दिनांक: २०.०३.२०१३ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति होगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक २१.११.२०१३ द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें संशोधन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- २१.११.२०१३ द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्त संख्या-१ में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रभावित वनभूमि के तुल्य अवन्त वनभूमि पर करने हेतु आवश्यक धनराशि जमा किये जाने की शर्त अंकित की गयी थी जिसमें संशोधन किया जाता है जो इस प्रकार है-

शर्त संख्या- १- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् ४.१७ हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु ग्य्हासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छ माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

ये शर्तें क्वाकत् रहेंगी।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. प्रमुख सचिव, वन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. उप वन संरक्षक, मध्य जीव, जयपुर, राजस्थान।
३. अधिशासी अभियन्ता (एन०एच०), सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-१, जयपुर, राजस्थान।
४. आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के०)